रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

GUJARAT LIBRARY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

का.आ. 185 (अ).—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारतीय निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है और बासमती चावल का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाना चाहिए।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, निर्यात निरीक्षण परिषद को अग्रेषित कर दिया गया है।

अत: केन्द्रीय सरकार अब उक्त उपनियम के अनुसरण में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2538 और 2539, तारीख 14 सितम्बर, 1990 का अधिक्रमण करते हुए बासमती चावल से संबंधित उक्त प्रस्तावों को उस जनता की जानकारी के लिए जिसके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहता है, इस आदेश को जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, 11वां तल, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि बासमती चावल का निर्यात करने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) बासमती चावल निर्यात (निरीक्षण) नियम, 2001 (उपाबंध-I) के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐ क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे बासमती चावलों पर उपयोजित किया जाएगा

(3) निम्नलिखित को मान्यता देना,

(क) आयातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक,

(ख) विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के बीच करार किए गए संविदात्मक विनिर्देश और इनके अंतर्गत क्षार-हिसाब, मांड के संघटक अविलेय मांड के संघटक, शिलपि गतिशीलता और परिवर्तनीयता के हिसाब से भारी धातुओं, नाशक कीटमारों अवशिष्टों की उपस्थिति, चावल की जीवों, परजीवियों और फफूंदी से मुक्ति जैसे वैकल्पिक परीक्षण भी हैं।

परन्तु यह तब जब कि ऐसे विनिर्देश इस आदेश से संलग्न अनुसूची 1 से 3 तक में अनुबंधित न्यूनतम विनिर्देशों से भिन्न न हों,

(ग) बासमती चावल (निर्यात) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2000 के अंतर्गत बनाए गए श्रेणी पदनाम,

परन्तु यह तब जब कि ऐसे विनिर्देश खंड (क) के अनुरूप हों,

(घ) संवेदात्मक विनिर्देशों के न होने पर इस आदेश की अनुसूची में दिए गए न्यूनतम विनिर्देश,

परन्तु यह तब जब कि खंड (क) (ख), (ग) और (घ) के अधीन विनिर्देश आयात करने वाले देश में प्रवृत्त खाद्य विधियों के, यदि कोई हों, अनुरूप हों।

(4) बासमती चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा चिन्ह या मुद्रा जो यह उपदर्शित करती हो कि वह इसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, ऐसे बासमती चावल के पैकेजों या आधानों पर लगाया गया या चिपकाया न गया हो और इसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से किसी के द्वारा जिसके अंतर्गत उक्त प्रदेश के विभिन्न भागों में अवस्थित उपकार्यालय भी हैं, या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किया गया इस आशय का निरीक्षण/श्रेणी प्रमाण-पत्र न लगा हो कि ऐसा बासमती चावल उपर्युक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भाषी क्रेताओं को समुद्री, भूमि और वायु मार्ग द्वारा बासमती चावल के ऐसे नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिसका मूल्य एकिजम पोलिसी के अंतर्गत समय-समय पर अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है और जहां ऐसे कोई उपबंध अस्तित्व में नहीं है वह उसका मूल्य 250/-रु. से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में "बासमती चावल (ओरिजा सटीवा)" से भारत में उत्पादित बासमती कच्चा मशीन कुटा चावल, सेला चावल और भूसा साफ किया बिना पालिश किया (भूरा बासमती चावल सेला भूरा बासमती चावल अभिप्रेत है जैसा कि अनुसूची I "पारम्परिक बासमती चावल" अनुसूची II में दिया गया है। अनुसूची I और अनुसूची II में दिए गए विनिर्देश "विकसित भारतीय बासमती चावल" पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा समस्त हिमालय प्रदेश के नीचे सिंध गंगा के समस्त मैदानी भाग में उत्पादित बासमती चावल की किस्मों को लागू होते हैं।

अनुसूची-I

पारम्परिक भारतीय बासमती चावल

श्रेणी	पकने से पूर्व न्यून. लंबाई मि. मी. में	पकने से पूर्व औसत लं. मि. मी. में	न्यूनतम एल/बी अनुपात	अधिकतम का % नमी	अधिकतम क्षतिग्रस्त बदरंग दाने %	अधिकतम सफेद दाने %
1	2	3	4	5	6	7
			मशीन-कुटे चावल हेतु			
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14	0.5	3
क.	6.6	7.0	3.5	14	0.7	5
ख.	6.6	6.8	3.5	14	1.0	7
			सेला मशीन कुटे चावल हेतु			
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14	0.5	0.1
क.	6.6	7.0	3.5	14	0.7	0.5
ख.	6.6	6.8	3.5	14	1.0	1.0

1	2	3	4	5	6	7
			भूरे चावल हेतु			
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14	0.5	3
क.	7.0	7.2	3.5	14	0.7	5
ख.	6.8	7.0	3.5	14	1.0	7
			सेला भूरे चावल हेतु			
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14	0.5	0.5
क.	7.0	7.2	3.5	14	0.7	1.0
ख.	6.8	7.0	3.5	14	1.0	2.0

अधिकतम किनकी टुकड़े %	अधिकतम विजातीय पदार्थ %	अधिकतम अन्य दाने %	अधिकतम अन्य चावल किस्में %	अधिकतम मशीन के अधीन और लाल निरावृत्त दाने %	अधिकतम धान के दाने %	न्यूनतम दीर्घीकरण का अनुपात	अधिकतम हरे दाने %
8	9	10	11	12	13	14	
2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.7	—
3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.7	—
5	0.40	0.20	15	3.5	3.3	1.7	—
अधिकतम काले दाने %							
2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	—
3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	—
5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	—
अधिकतम सफेद दाने							
2	0.2	0.10	5	2.0	0.20	1.7	2.0
3	0.5	0.10	8	2.5	0.50	1.7	4.0
5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.7	6.0
अधिकतम काले दाने							
2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.5	2.0
3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.5	4.0
5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.5	6.0

अनुसूची-II

विकसित भारतीय बासमती चावल

1	2	3	4	5	6	7
			मशीन-कुटे चावल हेतु			
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14	0.5	3
क.	6.6	7.0	3.5	14	0.7	5
ख.	6.6	6.8	3.5	14	1.0	7

1	2	3	4	5	6	7
	भूरे चावल हेतु					
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	3
क.	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	5
ख.	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	7
	सेला मशीन कुटे चावल					
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	0.1
क.	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	0.5
ख.	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	1.0
	सेला भूरे चावल हेतु					
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	0.5
क.	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	0.1
ख.	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	2.0

8	9	10	11	12	13	14	15
2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.7	—
3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.7	—
5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.7	—
2	0.20	0.10	5	2.0	0.20	1.7	2
3	0.50	0.10	8	2.5	0.50	1.7	4
5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.7	6
2	0.10	0.1	5	2.0	0.1	1.5	—
3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.5	—
5	0.40	0.2	15	3.5	0.3	1.5	—
2	0.2	0.1	5	2.0	0.2	1.5	2
3	0.5	0.1	8	2.5	0.5	1.5	4
5	1.00	0.2	15	3.5	0.8	1.5	6

अनुसूची-III

भारतीय लंबे महीन दाने का चावल

1	2	3	4	5	6	7
	मशीन-कुटे चावल हेतु					
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	3
क.	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	5
ख.	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	7
	भूरे चावल हेतु					
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	3
क.	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	5
ख.	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	7

1	2	3	4	5	6	7
		सेला मशीन कुटे चावल हेतु				
स्पेशल	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	0.1
क.	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	0.5
ख.	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	1.0
		सेला भूरे चावल हेतु				
स्पेशल	7.0	7.4	3.5	14	0.5	0.5
क.	7.0	7.2	3.5	14	0.7	1.0
ख.	6.8	7.0	3.5	14	1.0	2.0

8	9	10	11	12	13	14	15
2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.6	—
3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.6	—
5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.6	—
2	0.20	0.10	5	2.0	0.20	1.6	2
3	0.50	0.10	8	2.5	0.50	1.6	4
5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.6	6
2	0.1	0.10	5	2.0	0.1	1.5	—
3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	—
5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	—
2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.5	2.0
3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.5	4.0
5	1.0	0.20	15	3.5	0.8	1.5	6.0

सामान्य विशेषताएं :

(1) ''विजातीय पदार्थ'' इसके अंतर्गत धूल, पत्थर, मिट्टी के ढेले, भूसी, तिनके घास-फूँस और अन्य कोई गंदगी भी है।

(2) ''टुकड़े और किनके'' इसके अंतर्गत चावल के दानों के ऐसे टुकड़े होंगे जो पूरे चावल का 3/4 भाग से न्यून होंगे जिन्हें किनके समझा जाएगा।

(3) ''अन्य चावलों'' से मिले जुले और/या चावल की घटिया किस्म सम्मिलित होगी।

(4) ''हरे दाने'' साबुत या टूटे हुए दाने होंगे और जो रंग में हरेपन पर होंगे।

(5) ''लाल दाने'' साबुत या टूटे हुए दाने होंगे जिन पर लाल भूसी की कोटिंग होगी।

(6) ''नुकसानग्रस्त, बदरंग सफेद जैसे दाने'' इसके अंतर्गत चावल के दाने, भग्न टुकड़े या साबुत होंगे जो भीतर से नुकसानग्रस्त या बदरंग, तात्विक रूप से क्वालिटी को प्रभावित करने वाले होंगे।

(7) सफेद दाने ऐसे होंगे जिनका कम से कम आधा भाग दूधिया सफेद रंग का और प्रकृति के अनुसार मुरमुरा होगा।

(8) भूरे चावल—वह चावल है जब उससे छिलका उतार दिया जाता है और दानों पर भूसी लगी रहती है।

(9) कच्चा मशीन कुटा चावल-धान का छिलका उतारने और उसे मशीन से तैयार करने की प्रक्रिया के पश्चात् जिसमे भूरे चावल से भूसी अलग हो जाए, अभिप्राप्त चावल के दाने।

(10) भूरे सेला चावल—जब धान को उसना करके और भूसी तथा छिलका अलग करने के पश्चात् अभिप्राप्त चावल के दाने।

(11) कच्चे सैला चावल—जब धान को उसना किया जाता है और भूसी तथा छिलका अलग किया जाता है, जिससे भूरे सैला चावल से भूसी अलग हो जाती है, उसके पश्चात् अभिप्राप्त चावल के दाने।

(12) विस्तारण अनुपात (ई. आर.)—यह बिना पके चावल से पके हुए चावल की लम्बाई का अनुपात है। यह पकने पर विस्तारित लम्बाई को नापता है।

(13) एल बी अनुपात—दाने की लम्बाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात।

(14) लाल परत वाले दाने—वे दाने जिनकी सतह पर लाल छिलके की परत होती है।

(15) छिलका उतारना—धान से छिलका अलग करना।

(16) शिरा टूटे—मशीन कुटे चावल जिनके शिरे टूट गए हैं।

(17) मशीन में प्रक्रियाधीन दाने—वे दाने जिनका छिलका भाग पालिश करने के दौरान पूरी तरह नहीं हटा है या जिस पर अधिकांश छिलका लगा रह गया है।

[फा. सं. 6/2/2000-ई आई एंड ई पी]
इ. के. भारत भूषण, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2001 है।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास स्थित केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहाकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(घ) "बासमती चावल (अरजा सटीवा)" से भारत में उत्पादित बासमती कच्चा मशीन कुटा चावल, सेला चावल और भूसा हटाया हुआ और बिना पालिश किया (भूरा) बासमती चावल और सेला भूरा बासमती चावल अभिप्रेत है।

(ङ) "भारत का पारम्परिक बासमती चावल से ऐसा पारम्परिक बासमती चावल अभिप्रेत है जो कि सूखा परिपक्व दाने (अरजा सटीवा) से परिपक्व गिरी एक समान आकृति, आकार और रंग का चावल है। इसके पौधे फोटो अवधि में कोमल और लम्बी किस्म के होते हैं (जो कि शीड अधिनियम, 1966 के अनुसार बासमती 370, बासमती 386, किस्म-3, तरोरी बासमती) (एचबीसी-191), बासमती 217 और रनबीर बासमती (आईईटी-11348) के रूप में अधिसूचित है और जो अभिहित भौगोलिक परिस्थितियों के क्षेत्र में पैदा किया जाता है।"

(च) "भारत में विकसित बासमती ऐसी किस्में हैं जो प्रथम अवसर पर पारम्परिक बासमती के साथ क्रास करके विकसित की गयी है और बासमती के रूप में निकाली जाती है अर्थात् इनके नाम हैं—पूसा बासमती-1(आईईटी-10364) पंजाब बासमती (बाउनी बासमती) हरियाणा बासमती-एचकेक्यू 228 आईईटी-10367 (कस्तूरी आईईटी-8580) और माही सुगंध। ये सब विकसित किस्म कही जाती हैं। ये चावल की ऐसी किस्में हैं जिनका एक मूल पारम्परिक चावल है और पारपंरिक बासमती के रूप में परिभाषित अभिहित भौगोलिक क्षेत्रों में उगाया जाता है।"

(छ) लंबे दाने वाला चावल—यदि पारम्परिक बासमती और विकसित बासमती चावल की किस्म को उनके मूल स्थान पर उत्पन्न नहीं किया जाता तो वह भारतीय लंबे दाने वाला बासमती चावल कहलाता है।

3. **निरीक्षण का आधार.**—बासमती चावल का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है जो या तो,—

(क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पाद का प्रसंस्करण परिषद द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है।

(ख) परिषद द्वारा विहित रीति से किए गए निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर किया गया है।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया.**—(1) ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो बासमती चावल के परेषण का निर्यात करना चाहता है, अभिकरण को लिखित सूचना देगा जिसमें निर्यात संविदा या आदेश की प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों के ब्यौरे जैसे अलकाली स्कोर एमाइलोस, इंसोलुबल एमाइलोस, गेल परिवर्तनीयता या किसी अन्य परीक्षण की बाबत आयातकर्ता देश की विनिर्दिष्ट आवश्यकता के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) परिषद द्वारा और ऐसे प्रसंस्करण यूनिट द्वारा जिसे इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल के पर्याप्त अंत: क्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों से सम्पन्न अधिनिर्णीत किया है, विहित किए गए पर्याप्त अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, प्रसंस्कृत किए गए बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यातकर्ता उपनियम (1) में वर्णित सूचना के साथ-साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के लिए आशयित बासमती चावल का परेषण परिषद द्वारा यथाविहित रूप से पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, प्रसंस्कृत किया गया है और वह (परेषण) इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना जहां अभिकरण का कार्यालय स्थित है, उसी स्थान पर स्थित परिसर में किए जाने वाले निरीक्षण से दो दिन अन्यून पहले दी जाएगी और ऐसे परिसरों पर जो अभिकरण के कार्यालय के स्थान पर स्थित नहीं है, वहां निरीक्षण किए जाने के 10 दिन से अन्यून पहले दी जाएगी।

(4) उपनियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर अभिकरण,—

(क) अपना यह समाधान कर लेने पर कि मिलिंग यूनिट प्रसंस्करण यूनिट ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, इस संबंध में परिषद द्वारा विहित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है, बासमती चावल के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए 2 दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) ऐसी दशा में, जहां मिलिंग यूनिट/प्रसंस्करण यूनिट निर्यातकर्ता नहीं है, परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन और/या निरीक्षण यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(5) (क) अभिकरण, फिर भी, निर्यात के लिए आशयित किन्हीं परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और यूनिट द्वारा अपनाए गए प्रसंस्करण अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता की जांच करने के लिए नियमित अंतरालों पर प्रसंस्करण एककों में जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि मिलिंग यूनिट/प्रसंस्करण यूनिट ने, प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों को नहीं अपनाया है या परिषद/अभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास पर्याप्त अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें नहीं हैं। ऐसे मामलों में यदि यूनिट ऐसा चाहता है तो वह अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।

(ख) ऐसे मामलों में, जहां निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि परिषद द्वारा अधिकथित अंतिम पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है, अभिकरण अपना यह समाधान कर लेने पर कि बासमती चावल का परेषण परिषद द्वारा अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण के अनुसार किए गए निरीक्षण तथा परीक्षणों के आधार पर इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, तो वह, यथास्थिति 2 या 10 दिनों के भीतर, बासमती चावल के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, प्रमाणपत्र जारी कर देगा परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यातकर्ता को प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और यथास्थिति 2 या 10 दिन के भीतर इंकार किए जाने के कारणों सहित निर्यातकर्ता को इंकार की सूचना देगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को अभिवहन के दौरान या पत्तन पर भंडारकरण के किसी भी स्थान पर वास्तविक लदान से पहले परेषण की क्वालिटी का पुन: मूल्यांकन करने का भी अधिकार होगा।

(7) यदि, परेषण को इनमें से किसी भी स्तर पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो मूल रूप से दिया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा।

5. **पैकिंग करना और चिन्हांकन.**—(क) यदि परेषण को नियमानुसार तैयार करने के पश्चात् निर्यातकर्ता निर्यात के लिए बासमती चावल को पैक करना चाहता है तो मानक नई अनाज की बोरियों में/अंदर की ओर पोलिथीन सहित कैनवस बोरियों/अधिक सतह वाले पोलीलेमिनेटिड कार्डबोर्ड के डिब्बों में या क्रेता की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप पैक करेगा।

(ख) बोरियों/पेकेजों पर निम्नलिखित सूचना स्टैंसिल/अंकित/मुद्रित की जाएगी।

1. निर्यातकर्ता का नाम और पता
2. किस्म
3. श्रेणी
4. लॉट संख्या
5. कुल भार तथा शुद्ध भार
6. भारत का उत्पादन, और
7. शिपिंग चिन्ह

6. **निरीक्षण का स्थान.**—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के उस परिसर पर किया जाएगा जहां माल निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. **निरीक्षण फीस.**—निरीक्षण के प्रयोजन के लिए निर्धारित दरों पर फीस अभिकरण को क्रमश: परेषणानुसार निरीक्षण और अंत: प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण के लिए निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

8. **अपील :**

(क) कोई ऐसा निर्यातकर्ता जो अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार से व्यथित है, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर अपील कर सकेगा जो अभिकरण द्वारा विशेषज्ञों के ऐसे पैनल को निर्देशित की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

(ख) पैनल के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैरसरकारी होंगे,

(ग) पैनल की गणपूर्ति इस प्रकार होगी,—

(1) 3 या 4 सदस्यों से मिलकर बने पैनल की दशा में, दो तथा

(2) किसी अन्य दशा में, तीन।

अपील उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

(घ) ऐसी अपील या पैनल का विनश्चिय अंतिम होगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 2001

S.O. 185(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India and Basmati Rice should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No.2538 and 2539 dated 14th September, 1990 relating to Basmati Rice, hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days from the date the Order is made available to public to the Export Inspection Council, Pragati Tower, 11th Floor, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that Basmati Rice shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the export of Basmati Rice (Inspection) Rules, 2001(Annexure-I), as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Basmati Rice prior to export;

(3) To recognize -

a) the national, standards of importing countries and international standards;

(b) the contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporter and may include optional tests such as alkali score, Amylose content, Insoluble Amylose content, Gel Mobility, Presence of heavy metals, Pesticide residue Freedom of Rice from organisms, parasites and fungi:

Provided that such specifications are not below the minimum specifications stipulated in Schedule I to III appended to this Order;

(c) the grade designation formulated under Basmati Rice (Export) Grading and Marking Rules, 2000.

Provided that such specifications are in conformity with clause (a);

(d) in the absence of contractual specifications, minimum specifications set out in Schedules to this Order:

Provided that the specifications under clause (a), (b), (c) and (d) shall also conform to the Food Laws; if any, in force in the importing country;

(4) prohibits the export, in the course of international trade of Basmati Rice unless a mark or seal recognized by the Central Government indicating that it conforms to the standard specifications applicable to it has been affixed or applied to packages or containers of such Basmati Rice and is accompanied by a certificate of Inspection/Grade issued by any of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) including its Sub Offices located at various parts of the region or Agricultural Marketing Adviser to the Government of India to the effect that such Basmati Rice conforms to the aforesaid standard specifications and is exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of samples of Basmati Rice, the value of which shall not exceed permissible limits laid down in Exim Policy from time to time and where no such provisions exists, the value shall not exceed Rs.250/- to prospective buyers.

3. In this Order, "Basmati Rice (*Oryza sativa*)" shall mean Basmati Raw Milled Rice, parboiled Rice and Dehusked unpolished (Brown) Basmati Rice and parboiled brown Basmati Rice produced in India as given in Schedule I ' Traditional Indian Basmati Rice and Schedule II 'Evolved Indian Basmati Rice. The specifications given in Schedule I and II apply Basmati Rice varieties grown in Haryana, Punjab and Western part of Uttar Pradesh, all forming part of Indo Gangetic Plain beneath the Himalayan range in the designated areas.

SCHEDULE – 1

TRADITIONAL INDIAN BASMATI RICE

Grade	Min. Precook Length in mm	Average Precook Length in mm	Min. L/B Ratio	Maximum Moisture %age	Max. Damaged Discoloured Grain %	Max. Chalky Grain %	Max. Brokent Fregments %	Max. Foreign Matter %	Max. other Grain %	Max. Other Rice varieties %	Max. under Milled & red stripped grain %	Max. Paddy Grain %	Minimum Elongation Ratio	Maximum Green Grain %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
For Milled Rice														
Special	6.6	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.7	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.7	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14	1.0	7	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.7	-
For Parboiled Milled Rice						Max. Black Kernels %								
Special	6.6	7.1	3.5	14	0.5	0.1	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-
For Brown Rice						Max. Chalky Kernels %								
Special	7.0	7.4	3.5	14	0.5	3	2	0.2	0.10	5	2.0	0.20	1.7	2.0
'A'	7.0	7.2	3.5	14	0.7	5	3	0.5	0.10	8	2.5	0.50	1.7	4.0
'B'	6.8	7.0	3.5	14	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.7	6.0
For Parboiled Brown Rice						Max. Black Kernels %								
Special	7.0	7.4	3.5	14	0.5	0.5	2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.5	2.0
'A'	7.0	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.5	4.0
'B'	6.8	7.0	3.5	14	1.0	2.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.5	6.0

SCHEDULE – II

EVOLVED INDIAN BASMATI RICE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
For Milled Rice														
Special	6.6	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.7	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.7	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14	1.0	7	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.7	-
For Brown Rice														
Special	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	3	2	0.20	0.10	5	2.0	0.20	1.7	2
'A'	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	5	3	0.50	0.10	8	2.5	0.50	1.7	4
'B'	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.7	6
For Parboiled Milled Rice						Max. Black Seed (%)								
Special	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	0.1	2	0.10	0.1	5	2.0	0.1	1.5	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	0.5	3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.5	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	1.0	5	0.40	0.2	15	3.5	0.3	1.5	-
For Parboiled Brown Rice														
Special	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	0.5	2	0.2	0.1	5	2.0	0.2	1.5	2
'A'	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	0.1	3	0.5	0.1	8	2.5	0.5	1.5	4
'B'	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	2.0	5	1.0	0.2	15	3.5	0.8	1.5	6

SCHEDULE-III

INDIAN LONG SLENDER GRAIN RICE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
For Milled Rice														
Special	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	3	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.6	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.6	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	7	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.6	-
For Brown Rice														
Special	7.0	7.4	3.5	14.0	0.5	3	2	0.20	0.10	5	2.0	0 20	1.6	2
'A'	7.0	7.2	3.5	14.0	0.7	5	3	0.50	0.10	8	2.5	0.50	1.6	4
'B'	6.8	7.0	3.5	14.0	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.80	1.6	6
For Parboiled Milled Rice														
Special	6.6	7.1	3.5	14.0	0.5	0.1	2	0.1	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
'A'	6.6	7.0	3.5	14.0	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
'B'	6.6	6.8	3.5	14.0	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-
For Parboiled Brown Rice						Max. Black Kernels %								
Special	7.0	7.4	3.5	14	0.5	0.5	2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.5	2.0
'A'	7.0	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.5	4.0
'B'	6.8	7.0	3.5	14	1.0	2.0	5	1.0	0.20	15	3.5	0.8	1.5	6.0

General Characteristic :-

1. "Foreign matter" includes dust stones, lumps of earth, chaff, stems or straw and any other impurity.
2. "Brokens and fragments" includes pieces of rice kernels which are less than three fourth of a whole kernel shall be treated as fragments.
3. "Other rice" shall consist of contrasting and/or inferior varieties of rice.
4. Green grains shall be the kernels, whole or broken, which are greenish in colour.
5. Red grains shall be the kernels, whole or broken, which have their surface coated with red grain.
6. "Damaged, discoloured grains" includes rice kernels, broken, fragments of whole that are internally damaged or discoloured materially affecting the quality.
7. Chalky grains shall be the grains atleast half of which are milky white in colour and brittle in nature.
8. Brown Rice – Rice when the husk is removed having bran intact on the kernels.
9. Raw Milled Rice – Rice kernel obtained after the process of shelling and milling of the paddy resulting in removal of bran from brown rice.
10. Brown Rice Parbaled – Rice Grain obtained when paddy is parboiled and husked/shelled.
11. Raw Parboiled Rice – Rice Grain obtained when paddy is parboiled, husked and milled resulting in the removal of bran from brown parboiled rice.
12. Elongation Rati (ER) – It is the ratio of the length of cooked rice to that of uncooked rice. It measures the expansion length upon cooking.
13. L/B Ratio – the ratio of the length (L) of a grain to its breadth (B).
14. Red Streaked Grain:- Grain that has streaks of red bran layer on the surface.
15. Shelling: Removing husk from paddy.
16. Tip Broken: Milled rice whose germ end tip is broken.
17. Undermilled Grain: Grain whose bran portion is not completely removed during polishing or which has substantial bran streaks left on it.

[F No. 6/2/2000-EI&EP]
E. K. BHARAT BHUSHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

In exercise of the power conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection)Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export of Basmati Rice (Inspection) Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done, before such supersession the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2001.

2. Definitions – In these rules, unless the context other wise requires –

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
(b) 'Agency' means any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act for inspection or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or; any other officer authorised on his behalf for inspection;
(c) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
(d) 'Basmati Rice *(Oryza sativa)* shall mean Basmati Raw Milled Rice, parboiled Rice and Dehusked and Unpolished (Brown) Basmati Rice and Parboiled brown Basmati Rice produced in India.
(e) India's Traditional Basmati Rice means Traditional Basmati Rice which shall be dried mature kernels of *Oryza sativa* of uniform shape, size and colour. The plant shall be photo-period sensitive, tall varieties (now notified under the Seed Act, 1966 as Basmati 370, Basmati 386, Type-3, Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217 and Ranbir Basmati (IET-11348) grown in the designated geographical areas. These shall be termed as Traditional Basmati Rice.
(f) India's Evolved Basmati are varieties that have been developed by being crossed with a traditional basmati at the first instance and released as a Basmati (namely, Pusa Basmati-I(IET-10364), Pubjab Basmati –(Bauni Basmati), Haryana Basmati –(HKQ 228/IET 10367), Kasturi IET-8580 and Mahi Sugandha. These shall be termed as Evolved Basmati.) These are rice varieties that have as one of the parents necessarily a Traditional Basmati and is grown in the designated geographical areas as defined for Traditional Basmati.
(g) Long Slender Grain Rice: Traditional and Evolved Basmati Rice varieties grown outside the designated areas shall be referred to as Indian Long Slender Grain Rice.

3. Basis of Inspection ::- The inspection of Basmati Rice shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act, either-

(a) by ensuring that the product has been processed by exercising necessary in-process quality controls approval/certification system as prescribed by the Council; or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner prescribed by the Council.

4. Procedure of Inspection – (1) An exporter intending to export a consignment of Basmati Rice shall give an intimation in writing to the Agency furnishing therein detail of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order alongwith specific requirement of the importer or importing country in regard to tests to be conducted such as Alkali Score, Total Amylose, Insoluble Amylose, Gel mobility or any other tests to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of Basmati Rice processed by exercising adequate inprocess quality control as prescribed by the Council and the processing unit adjusted as having adequate inprocess quality control drills by a panel of experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that a consignment of Basmati Rice intended for export has been processed by exercising adequate quality control as prescribed by the Council and the consignment conforms to the standard specification recognized for the purpose.

(3) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than 2 days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station where the office of the Agency is located and not less than 10 days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station where the office of the Agency is located.

(4) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub rule (2), the Agency:-

(a) on satisfying itself that the Milling unit/Processing unit has exercised adequate quality control as prescribed by the Council in this regard to ensure that the product conforms to the standard specification recognized for the purpose, shall, within 2 days issue a certificate declaring the consignment of Basmati Rice as exportworthy.

(b) in a case where the processor is not the exporter, shall physically verify and inspect the consignment and such verification and or inspection, if necessary shall be carried out to ensure that the above conditions are complied with.

5. (a) The Agency shall, however, carry out the spot check of some of the consignment for export and also monitor the processing units at regular intervals to verify the adequacy of inprocess quality control drill adopted by the unit. If the Milling unit/processing unit is found not maintaining the required quality control measure at any stage of the process or does not comply with the recommendations

of the Council/Agency, the unit shall be declared as not having adequate in process quality control drills. In such cases, the unit if so desires, shall apply afresh for adjustment of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that latest adequate quality control as laid down by the Council had been exercised, the Agency, on satisfying itself that the consignment of Basmati Rice conforms to the standard specifications recognised for the purpose on the basis of inspection and testing carried out as laid down by the Council, shall within 2 days or 10 days as the case may be issue a certificate declaring the consignment of Basmati Rice as exportworthy. Provided that where the Agency is not satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal within 2 days or 10 days, as the case may be to the exporter alongwith the reasons therefor.

(5) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place or storage, in transit or at the ports before its actual shipment.

(6) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and Marking – (a) An exporter intending to pack Basmati Rice for export after preparing the consignment as per these rules shall pack in standard new gunny bags/ canvas bags, with inner polythene/carboard cartons multilayer polylaminates or as per specific requirements of the buyer.

(b) The following information shall be stenciled or printed on bag or packages:

1. Name and address of the exporter;
2. Variety;
3. Grade;
4. Lot Number;
5. Gross Weight and net weight;
6. Product of India; and
7. Shipping Mark

6. Place of inspection - Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection, provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection Fee - A fee at the rates prescribed for the purpose of inspection shall be paid to the Agency as inspection fee for consignmentwise inspection and inprocess quality control respectively.

8. Appeal :

(a) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within 10 days of the receipt of the communication such refusal prefer an appeal which shall be referred by the Agency to a panel of Experts consisting of not less than three, but not more than seven persons appointed for the purposes by the Central Government.

(b) at least two thirds of the total membership of the Panel shall consist of non-officials.

(c) the quorum of the Panel shall be :-

(i) in case the panel consists of 3 or 4 member two and
(ii) in any other case three:
the appeal shall be disposed of within fifteen days from its receipt;

(d) the decision of the Panel on such appeal shall be final.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001